आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	**वाद संख्या–08 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, ग्राम–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, पूर्वी सिंहभूम वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें दो माह का बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि राशन कार्ड से नाम delete होने के बाद दोबारा उनका नाम न तो जोड़ा गया है और न ही नया राशन कार्ड बनाया गया है। नया राशनकार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो शिकायतकर्ता का नया राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए उनका राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें और जबतक राशन कार्ड नहीं बनता है तबतक उन्हें राशन उपलब्ध कराये जाने का विकल्प तलाशें। इस निदेश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx27	